विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0031413

मेसर्स सत्या बिस्किट, — आवेदक
द्वारा – पार्टनर नरेन्द्र डोलानी,
प्लाट नं. एच – 66, औद्योगिक क्षेत्र,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

विरूद्ध

1) प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गोविन्दपुरा, भोपाल संभाग,
भोपाल (म.प्र.) – 462023

— अनावेदक

2) कार्यपालन यंत्री (ईस्ट डिवीजन),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गोविन्दपुरा, भोपाल संभाग,
भोपाल (म.प्र.) – 462023

आदेश
(दिनांक 20.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक C0111212 नरेन्द्र डोलानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से दिनांक 24.04.13 को प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक विद्युत उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि नवम्बर 2011 में उसे जो देयक जारी किया गया था उसमें मार्च 2000–2001 की अवधि में उसके द्वारा उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा के प्रभार का मूल्य रू. 113204/– का देयक आडिट के आधार पर जारी किया गया था । ऐसा देयक समयबाधित था, जिसे वसूलने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को नहीं है ।

3. फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत की समीक्षा के पश्चात् यह निर्णय दिया गया है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के वृत स्तर के अधिकारी उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में विस्तृत विवेचना करें

तथा 14 दिन में अपने निर्णय से उपभोक्ता एवं फोरम को अवगत कराएं । उपभोक्ता यदि वृत प्रभारी के निर्णय से सहमत नहीं हो तो विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय क्षेत्र प्रभारी को अपील करें ।

4. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम के आदेश के बाद भी उसे वृत स्तर के अधिकारी का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है । फोरम द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है । अनावेदक कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की धमकी देकर विच्छेदन का नोटिस जारी किया है, अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाए कि वह विवादित राशि की मांग नहीं करें और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट न करें ।

5. अभ्यावेदन के साथ उपभोक्ता ने धारा 5 परिसीमा नियम के अंतर्गत देरी से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को क्षमा किए जाने का आवेदन भी प्रस्तुत किया है ।

6. यद्यपि उपभोक्ता ने समुचित कारण के बिना फोरम के आदेश के बाद अत्यधिक देरी से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु उपभोक्ता की शिकायत को देखते हुए उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. आवेदक उपभोक्ता ने इस आशय की शिकायत की थी कि मार्च 2000 से मार्च 2001 की अवधि तक उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया जाना कहा जाता है वह राशि समयबाधित हो चुकी है, अतः उसे वसूल पाने का अधिकार अनावेदक को नहीं है । इस तथ्य के संबंध में यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि विवादित राशि उस अवधि की है जब भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 प्रभावशील नहीं था, परन्तु उपभोक्ता को जब देयक जारी किया गया है अर्थात् 2011 में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 प्रभावशील हो चुका था । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पूर्व विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधान प्रभावशील थे और उक्त अधिनियम में उपभोक्ता से देयक वसूली के लिए कोई परिसीमा काल निर्धारित नहीं किया गया था । उक्त विद्युत देयकों के परिपेक्ष्य में शिकायत का विस्तार से विवेचन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता ने जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष उसे फोरम द्वारा प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम ने स्थिति को यथावत् बनाए रखने का आदेश दिया है और यह भी आदेश दिया है कि न्यायसंगत निर्णय होने तक उपभोक्ता का कनेक्शन ऑडिट रिकवरी के कारण विच्छेदित न किया जाए तथा इस राशि को नियमित बिल के साथ न जोड़ा जाए ।

8. फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में वृत प्रभारी को कार्यवाही करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया है और उपभोक्ता यदि ऐसे निर्णय से सहमत न हो तो उसे स्थानीय क्षेत्र प्रभारी के समक्ष अपील करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ।

9. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वृत प्रभारी जो कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का अधिकारी है के द्वारा जब तक फोरम के निर्देश के अनुसार कार्यवाही कर अपने निर्णय से उपभोक्ता को अवगत नहीं कराया जाता तथा असंतुष्ठ होने पर उपभोक्ता द्वारा स्थानीय क्षेत्र प्रभारी के समक्ष अपील करने पर ऐसे अपील का जब तक निराकरण नहीं होता तब तक अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता से प्रश्नगत् देयक की राशि वसूल पाने की अधिकारी नहीं है तथा ऐसे देयक की राशि जमा न करने के कारण उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन भी नहीं किया जा सकता है, अतः फोरम के आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदाई अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी यदि फोरम के आदेश का पालन नहीं करती है तो वह प्रश्नगत देयक उपभोक्ता से वसूल पाने की अधिकारी नहीं है ।

10. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा किया जा चुका है । उपभोक्ता को फोरम के आदेश से किसी तरह की असुविधा का होना नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर नवीन आदेश करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल